



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06052026-272286  
CG-DL-E-06052026-272286

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2145]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 5, 2026/वैशाख 15, 1948

No. 2145]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 5, 2026/VAISAKHA 15, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2026

का.आ. 2232(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956(1956 का 88) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.5261(अ) तारीख 18/11/2025, का.आ.5495(अ) तारीख 28/11/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में राष्ट्रीय महामार्ग 160-अ कि.मी. 110/000 से कि.मी. 156/000 (मोखाडा-जव्हार) खंड तक के भू-खंड के निर्माण (पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का निर्माण विस्तार), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन का.आ.5261(अ) तारीख 18/11/2025 में "दैनिक नवशक्ती" और "दि फ्री प्रेस जर्नल" तारीख 22/11/2025 दोनों में प्रकाशित किया गया था; और का.आ.5495(अ) तारीख 28/11/2025 में "दैनिक नवशक्ती" और "दि फ्री प्रेस जर्नल" तारीख 03/12/2025 दोनों में प्रकाशित किया गया था;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है

और उसका उचित रूप से निपटारा करवा दिया : और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा ३घ की उपधारा (१) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा ३घ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा ३घ की उपधारा (२) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

### अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में राष्ट्रीय महामार्ग १६०-अ कि.मी.११०/००० से कि.मी.१५६/००० (मोखाडा-जव्हार) खंड के लिये के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: पालघर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: जव्हार					
गांव का नाम: रायतळे					
1	२०३	निजी	कृषि	0.0003	संगीता जनार्दन पवार, चंद्रभागा गणपत सातपुते, मनोहर गणपत सातपुते, राजेंद्र गणपत सातपुते, 203
2	२०९	निजी	कृषि	0.0002	गिरजी सखाराम मोहोंडकर, गोविंद गंगा भांगरे, जानकू लक्ष्मण घटके, देऊ गंगा भांगरे, भाऊ गंगा भांगरे, मैनी धर्मा मराड, सुमन जयराम खुलात, गुणी गंगा भांगरे 209
गांव का नाम: केळघर					
3	१५१	निजी	कृषि	0.0162	आनाजी रामजी सालकर, सखाराम

					रामजी सालकर 151
4	१५५	निजी	कृषी	0.0063	आनाजी रामजी सालकर, सखाराम रामजी सालकर 155
गांव का नाम: न्याहाळे खुर्द					
5	१२८	निजी	कृषी	0.0512	कैलास शांताराम रांधा, जानु सक्रया रांधा, मुक्ता शांताराम रांधा, विष्णू सक्रया रांधा, शकुंतला शांताराम रांधा, सिता शांताराम रांधा, गणेश सक्रिया रांधा 128/3
<b>Total</b>				<b>0.0742</b>	

[फा. सं. RW/NH-12037/2/MAH-MISC-ZONE-IV/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th May, 2026

**S.O. 2232(E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Notification Number **S.O. 5261(E)** Dated **18/11/2025**, **S.O. 5495(E)** Dated **28/11/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for (2-lane/4-laning, with Paved shoulder etc) **maintenance, management and operation of National Highway 160-A in the Stretch of the land from Ex Ch 110.000 to Ex Ch 156.000 (Mokhada-Jawhar) Section in the district of Palghar in the state of Maharashtra.**

And whereas the substance of the said notification **S.O. 5261(E)** Dated **18/11/2025** has been published in “**Dainik Navshakti**” and “**The Free Press Journal**” both are dated **22/11/2025**; And **S.O. 5495(E)** Dated **28/11/2025** has been published in “**Dainik Navshakti**” and “**The Free Press Journal**” both are dated **03/12/2025**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired, with or without structure falling National Highway-160-A within the Stretch of the land from Ex Ch 110.000 to Ex Ch 156.000 (Mokhada-Jawhar) Section in the district of Palghar in the state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: PALGHAR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Jawhar</b>					
<b>Village: Raytale</b>					
1	203	Private	Agricultural	0.0003	Sangita Janardan Pawar, Chandrabhaga Ganpat Satpute, Manohar Ganpat Satpute, Rajendra Ganpat Satpute, 203
2	209	Private	Agricultural	0.0002	Girji Sakharam Mohondkar, Govind Ganga Bhangre, Janku Laxman Ghatke, Deu Ganga Bhangre, Bhau Ganga Bhangre, Maini Dharma Marad, Suman Jayaram Khulat, Guni Ganga Bhangre 209
<b>Village: Kelghar</b>					
3	151	Private	Agricultural	0.0162	Anaji Ramji Salkar, Sakharam Ramji

					Salkar 151
4	155	Private	Agricultural	0.0063	Anaji Ramji Salkar, Sakharam Ramji Salkar 155
<b>Village: Nyahale Khurd</b>					
5	128	Private	Agricultural	0.0512	Kailash Shantaram Randha, Janu Sakriya Randha, Mukta Shantaram Randha, Vishnu Sakriya Randha, Shakuntala Shantaram Randha, Sita Shantaram Randha, Ganesh Sakriya Randha 128/3
<b>Total</b>				<b>0.0742</b>	

[F. No. RW/NH-12037/2/MAH-MISC-ZONE-IV/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director